भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4099

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी निवेश को बढ़ावा देना

4099. श्रीमती लवली आनंदः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई गई विभिन्न नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीतियों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): हाल के वर्षों में, भारत एफडीआई के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा है। भारत ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और विदेशी पूंजी अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें रणनीतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र, स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र की क्षेत्रगत सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। निवेशकों के लिए भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने और अपेक्षित अनुमति लेने के लिए भारत सरकार के

ऑनलाइन सिंगल पाइंट इंटरफेस के रूप में राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) भी शुरू की गई है।

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ने 10 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। ईएफटीए, एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 1960 में स्थापित किया गया था। इसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिचेन्स्टाइन शामिल हैं। टीईपीए के तहत, ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन को संभव बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समझौते के अनुसार विभिन्न निवेश संवर्धन और सहयोग कार्यकलापों को शुरू करने की परिकल्पना की गई है। जिन क्षेत्रों में इस समझौते का सबसे अधिक प्रभाव दिखने की संभावना है, उनमें सी फूड और सामुद्रिक उत्पाद, ऊर्जा, हेल्थकेयर, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा और ऑडियो-विजुअल सेवाएं, फार्मास्यूटिक्लस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा तथा खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। टीईपीए से भारत में निवेश को बढ़ावा मिलने और इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेक इन इंडिया" पहल को गति मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेश अनुकूल गंतव्य बना रहे, इसके लिए सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष औद्योगिक चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करके उनके विचार/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार तथा अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों की एफडीआई नीति में सुधार शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 15.10.2020 के समेकित एफडीआई नीति परिपत्र के पैरा 5.2.5.1 के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 तक, कुल

एफडीआई अंतर्वाह 1053.78 बिलियन डॉलर है (स्रोत: एफडीआई सांख्यिकी, डीपीआईआईटी)।

(ख) से (घ): 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य, निवेश में सहायता करना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश आउटरीच किया जा रहा है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों में कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत क्षेत्रों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें (1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) कार्यान्वित की जा रही हैं। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और बड़े पैमाने की किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में लगभग अगले पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के लिए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) तथा क्यूसीओ (गुणवता नियंत्रण आदेशों) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं। अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्लूएस), जीआईएस सक्षम भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में बाधाओं

को दूर करने के लिए परियोजना निगरानी समूह, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज आदि शामिल हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों/रीजन/नोड्स का विकास करना है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार, राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है और भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से आंतरिक मुख्य अवसंरचना घटकों के विकास के लिए इक्विटी उपलब्ध कराती है।

*****

अनुबंध

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4099 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र :

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस
iv. बायो-टेक्नोलॉजी
v. कैपिटल गुड्स
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र:

xvi. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
xvii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
xviii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
xix. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
xx. लेखा और वित्त सेवाएं
xxi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
xxii. कानूनी सेवाएं
xxiii. संचार सेवाएं
xxiv. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
xxv. पर्यावरणीय सेवाएं
xxvi. वित्तीय सेवाएं
xxvii. शिक्षा सेवाएं

*****